17/1/18 पत्रावली पेश हुई। वकील बादी/
प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन
अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग/
शिविर मुख्यालय से बाहर है
पत्रावली पूर्ववत दि0 ......3/18
को पेश हो।

3/18
पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक----- ---------11/4/18-----को पेश हो

4/18
पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार ... से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली के साथ संलग्न है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/5/18 को पेश हो

पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 15/5/18 ~~केम्प खैरूला~~ को पेश हो।

/18
...लाल

पत्रावली लोक अदालत केम्प खैरूला में पेश हुई। प्रार्थी किशनलाल उपस्थित, प्रार्थी द्वारा वांछित रिलीफ के कम में प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने कथन किये कि राजस्व रिकॉर्ड में ख0नं0 94 की 8 बीघा 18 बिस्वा के बाद सेटलमेंट नये ख0नं0 223 रकबा 0.70 हे0 व ख0नं0 225 रकबा 0.20 हे0 कुल 0.90 हे0 के स्थान पर ख0नं0 223 व 225 की 1.43 हे0 दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें के आदेश प्रदान करें। जवाब सरकार का अवलोकन किया। पत्रावली में सम्मिलित दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया। सेटलमेंट से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 94 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज थी। बाद बन्दोबस्त उक्त आराजी खसरा नम्बर 94 के नवीन ख0नं0 223 रकबा 0.70 हे0 व

ख0नं0 225 रकबा 0.20 हैक्टर बनाया जाकर दर्ज किया गया है। 8 बीघा 18 बिस्वा को दषमलव प्रणाली में परिवर्तन करने पर यह पाया जाता है कि ख0नं0 94 का रकबा सेटलमेंन्ट से पूर्व के रकबे की तुलना में बाद सैटलमेंन्ट कम दर्ज किया गया है।

प्रार्थी द्वारा अंकित कथन मात्र यहॉ तक प्रमाणित है कि बाद बन्दोबस्त उसके रकबे को कम अंकित किया गया है परन्तु उसके पूर्व रकबे को कम अंकित कर किस आराजी में समाहित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उक्त पूर्व आराजी का रकबा सेटलमेंन्ट से पूर्व की अपेक्षा बाद सेटलमेंन्ट बढ़ गया है और उक्त बड़े हुये रकबे को कम करके प्रार्थी के कमी रकबे को पूरा किया जावे, इस प्रकार का कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके द्वारा वॉछित रकबा किस आराजी में से कम करके उसे पूरा किया जावे।

मूलतः प्रार्थी के हितो के विपरीत किसी प्रकार की कोई प्रविष्टी भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख में की गई हो तथा उसे राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत शुद्व किया जा सकता हो नहीं पाई जाती हैं क्येाकि धारा 136 में स्पष्ट उल्लेखित है कि ***"भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें।'*** इस प्रकार 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किया जा सकता है।

प्रकरण के सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2002(1) पेज 153 आर0आर0डी0 1977 पेज 276, आर0आर0डी0 1990 पेज 460, आर0आर0डी0 1996 पेज 63 आर0आर0डी0 1977 पेज 276, आर0आर0डी0 1990 पेज 460, आर0आर0डी0 1996 पेज 63 की नजीर चस्पा होती है। हम माननीय न्यायालय के उक्त निर्णयों की रोषनी में प्रस्तुत प्रकरण को देखते हैं तो पाते हैं कि प्रार्थी द्वारा वांछित रिलीफ 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नहीं दी जा सकती।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अंकित कथनों को पूर्णतः प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रकरण के सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2002(1) पेज 153 की नजीर चस्पा होती है,

मूलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत पूर्णतः वास्ते अनुतोष गवर्न नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित रिलीफ 136 एल0आर0एक्ट 1956 के

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2-2-5/2009	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
अनुतोष बाबत पृथक् से घोषणा व दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत कर विधिअनुसार अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर पृविष्ट लेख भण्डार हो। आदेश मजमें आम लोक अदालत केम्प खैरूला में सरे इजलास सुनाया।	